न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

(पीठ)

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या– 83/2013–14

राज्य सरकार –बनाम– श्री महेन्द्र कुमार दास एवं अन्य

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।
एवं
श्री विजय कुमार ढौंडियाल, आई0ए0एस0, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता पुनर्विलोकनकर्ता राज्य सरकार : श्री राजवीर सिंह,सहा0जिला शास0अधि0(राज.)

अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण : श्री सी0एम0 असवाल।

बावत

मौजा भवानीपुर हरसिंह, तहसील लालकुँआ,
जनपद नैनीताल।

निर्णय

उपरोक्त पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निगरानी संख्या–42/2012–13 सरकार बनाम महेन्द्र कुमार दास आदि में अध्यक्ष, राजस्व परिषद द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 23–08–2014 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रतिपक्षी द्वारा राजस्व अभिलेखों में हुई त्रुटि के सुधार हेतु धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हल्द्वानी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो निर्णयादेश दिनांक 27–12–2010 से निरस्त किया गया। इस निर्णयादेश के विरूद्व प्रतिउत्तरदाता ने विद्वान अपर आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो विद्वान अपर आयुक्त ने अपने निर्णयादेश दिनांक 07–02–2011 से स्वीकार की गई जिसके विरूद्व राज्य सरकार की ओर से राजस्व परिषद में निगरानी योजित की गई और उभयपक्षों की सुनवाई के उपरान्त पूर्व मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद द्वारा अपने निर्णयादेश दिनांक 23–08–2014 से निगरानी निरस्त की गई जिसके पुनर्विलोकन हेतु यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षों को विस्तारपूर्वक सुना एवं उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

पुनर्विलोकनकर्ता राज्य सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें उनके द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को ही दोहराया गया है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि निगरानी में पारित आदेश साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर पारित नहीं किया गया है और दीर्घकालीन इन्द्राज को धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दुरस्त नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदातागण का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि पर बृजेन्द्र कुमार दास व प्रतिउत्तरदाता संख्या–2 पन्ना जीवन लाल के पिता बतौर भूमि दर्ज कागजात थे व कास्त करते चले आ रहे थे परन्तु बन्दोबस्त के दौरान बिना किसी न्यायालय व सक्षम अधिकार के माल कर्मचारियों द्वारा फर्जी तरीके से प्रतिउत्तरदातागण के पिता के साथ वास्ते केशर सुगर मिल का नाम जोड़ दिया गया जो अवैधानिक था। इस त्रुटि को दुरस्त करने हेतु ही दुरस्ती प्रार्थना पत्र सहायक कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो साक्ष्यों एवं अभिलेखों की अनदेखी कर निरस्त कर दिया गया। विधि में स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि फर्जी व कूट रचित इन्द्राज चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो उसे दुरस्त किया जा सकता है। अपर आयुक्त द्वारा भली भांति परीक्षण एवं साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात ही निर्णयादेश दिनांक 07–02–2011 पारित किया गया था और राजस्व परिषद द्वारा भी निगरानी अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर ही निरस्त की गई। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

हमने न्यायालय राजस्व परिषद द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 23–08–2014 एवं विद्वान अपर आयुक्त द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 07–02–2011 का भी अवलोकन किया। विद्वान अपर आयुक्त द्वारा अपने निर्णयादेश में यह स्पष्ट किया गया है कि भूलवश यदि किसी के नाम का इन्द्राज किया जाता है या इन्द्राज होने से रह जाता है तो ऐसा इन्द्राज चाहे जितना भी पुराना क्यों न हो उसे धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दुरस्त किया जा सकता है। यह न्यायालय विद्वान अपर आयुक्त के इस निष्कर्ष से पूर्णतः सहमत है। हमने पुनर्विलोकनकर्ता राज्य सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) से जब यह प्रश्न पूछा कि अभिलेखों में केशर सुगर मिल का जो इन्द्राज अंकित है उसका इस वाद से क्या सम्बन्ध है तो वे इस सम्बन्ध में कोई उत्तर अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। अतः मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 23–08–2014 एवं विद्वान अपर आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल के निर्णयादेश दिनांक 07–02–2011 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है जिनमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत निर्णयादेश भली–भांति परीक्षण एवं साक्ष्यों के आधार पर पारित किये गये हैं। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

बलयुक्त न होने के कारण पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। तद्नुसार पूर्व पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। अपर आयुक्त की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 12.05.15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।